



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में किशोर अपचारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई। ”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं०-347/2016 धारा-363,376,506 भा०द०सं० व 04 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त किशोर अपचारी थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
उ०नि० भानूप्रताप
यादव



पैरोकार- थाना मौदहा
का० शुभम यादव